ई-मेल

संख्या-1/2024/01/एक-1-2024-
1-1099/178/2023-रा0-1

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हमीरपुर।

राजस्व अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 23 जनवरी, 2024**

विषयः- बीम प्रोडक्ट्स सर्विसेज प्रा0लि0 द्वारा मौजा चन्द्रपुरवा बुजुर्ग, परगना सुमेरपुर, तहसील व जिला हमीरपुर में विहित सीमा से अधिक क्रय की गयी भूमि के विनियमितीकरण किये जाने हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1522/डी.एल.आर.सी.-12/भूमि विनियमितीकरण/2023 दिनांक-26.09.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बीम प्रोडक्ट्स सर्विसेज प्रा0लि0 द्वारा मौजा चन्द्रपुरवा बुजुर्ग, परगना सुमेरपुर, तहसील व जिला हमीरपुर में बिना पूर्वानुमति के विहित सीमा 5.0586हे0 से अधिक क्रय की गयी भूमि के विनियमितीकरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 89 की उपधारा-3 में वर्णित व्यवस्था के आलोक में श्री राज्यपाल बीम प्रोडक्ट्स सर्विसेज प्रा0लि0 द्वारा मौजा चन्द्रपुरवा बुजुर्ग, परगना सुमेरपुर, तहसील व जिला हमीरपुर में लघु उद्योग एवं वेयर हाउस की स्थापना हेतु बिना पूर्वानुमति के क्रय की गयी विहित सीमा 5.0586हे0 से अधिक 0.6721हे0 भूमि का विनियमितीकरण/कार्योत्तर स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) संस्था द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 5.0586X1.5=7.5879हे0 से अधिक क्रय की गयी 0.6721हे0 भूमि का जिलाधिकारी सर्किल दर के अनुसार आगणित कुल मूल्य के दस प्रतिशत अर्थात् रु0- 68000/- (अड़सठ हजार रू0) जुर्माने के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।

(2) यदि आवेदक, उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा 89(2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित अथवा क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा 105 के परिणाम लागू हो जायेंगे।

(3) प्रश्नगत भूमि का उपयोग लघु उद्योग एवं वेयर हाउस के संचालन हेतु ही किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि के विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी को अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) जिलाधिकारी द्वारा विनियमितीकरण से पूर्व संस्था के सम्बन्धित गाटों के विक्रय-पत्रों की जांच कर यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि प्रश्नगत गाटे संस्था द्वारा क्रय/अर्जित किए गए हैं। साथ ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से तो क्रय नहीं की गयी है।

भवदीय,
सुधीर गर्ग
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(3) आयुक्त, चित्रकूट मण्डल, चित्रकूट।
(4) बीम प्रोडक्ट्स एण्ड सर्विसेज (प्रा0लि0), गेट नं0-99, मौजा चन्द्रपुरवा, तहसील सुमेरपुर, हमीरपुर, उ0प्र0-210502
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आर0पी0 सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।